न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री मनोज कुमार मीना R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 361/2024 निर्णय दिनांक :– 27.12.2024

उनवानी प्रार्थना पत्र :

नितिश भारद्वाज पुत्र दिनेश शर्मा जाति ब्राहम्ण उम्र बालिग निवासी मकान नम्बर 18 डी मानसरोवर जयपुर जिला जयपुर राज0 –प्रार्थीया–

बनाम

तहसीलदार जी देवली जिला टोंक राज0 – अप्रार्थी–

उपस्थिति :–

श्री सुनिल कुमार शर्मा
अधिवक्ता प्रार्थी

तहसीलदार देवली

प्रार्थना पत्र अ0 धारा 251 ए राज0 टिनेन्सी एक्ट

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी भूमि खाता संख्या 60 खसरा नम्बर 149/38 रकबा 0.25 है0 वाके ग्राम नृसिंहपुरा पटवार हल्का पनवाड़ तहसील देवली जिला टोक राज0 में स्थित है। राजस्व रिकार्ड में खसरा नम्बर 2 गै0 मु0 सड़क एवं खसरा नम्बर 152/38 रकबा 0.3035 है0 सिवायचक भूमि दर्ज है। प्रार्थी अपनी उक्त वर्णित खातेदारी की आराजी भूमि पर गै0मु0 सड़क खसरा नम्बर 2 से सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 152/38 में से होकर आता जाता रहा है तथा उपयोग उपभोग करता आ रहा है तथा अपने कृषि संबंधी यन्त्र भी इसी रास्ते से होकर लाता ले जाता है। राजस्व रिकार्ड में आने जाने का रास्ता नही होने के कारण प्रार्थी को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के खेत मे जाने का अन्य कोई वेकल्पिक रास्ता नही है। प्रार्थी को अपनी उक्त वर्णित आराजीयात पर आने जाने के लिये गै0मु0 सड़क खसरा नम्बर 2 से सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 152/38 में से होकर 30 फीट चोडा रास्ता दिलाया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है जिसके लिये यह प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थी नियमानुसार एवं आदेशानुसार राशी जमा कराने को तैयार है। अतः प्रार्थना पत्र अ0धारा 251 ए राज0 टीनेन्सी एक्ट मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी भूमि खाता संख्या 60 खसरा नम्बर 149/38 रकबा 0.25 है0 वाके ग्राम नृसिंहपुरा पटवार हल्का पनवाड़ तहसील देवली जिला टोक राज0 पर आने जाने के लिये गै0मु0 सडक खसरा नम्बर 2 से

27.12.2024

सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 152/38 में से होकर 30 फीट चोडा रास्ता दिलवाये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

अप्रार्थी तहसीलदार की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थी तहसीलदार देवली द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की गई जो इस प्रकार है:– प्रार्थी की आराजी पर पहुंचने का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है । प्रार्थी को रास्ते की आवश्यकता अत्यधिक है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई लघुत्तम दूरी का रास्ता प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित रास्ता रिकॉर्डेड रास्ते ख.न. 150/38 रकबा 0.0365 है. किस्म गैर मुमकिन रास्ता (सिवायचक) से जुड़ा हुआ है। प्रस्तावित रास्ते की चोड़ाई 9.1439 मीटर एव लंबाई 10 मीटर होगी अर्थात कुल 91.439 वर्गमीटर भूमि रास्ते हेतु आवश्यक होगी। प्रस्तावित रास्ता चाही जाने वाली डीएलसी दर 5471000 प्रति है. जिसकी एक गुणा राशि 50027 व दुगनी 100054 रुपये है। आवेदक की आराजी खातेदारी मे दर्ज है। प्रार्थी खसरा नम्बर 152/38 मे से रास्ता चाहता है प्रस्तावित रास्ते को नक्सा ट्रेस में लाल स्याही से चिन्हित कर दिया गया है। प्रस्तावित रास्ते के मध्य कोई संरचना जैसे पेड़ दीवार आदि नहीं है। प्रार्थी को रास्ते की अत्यधिक आवश्कता होने के करण रास्ता दिया जाना उचित है। प्रस्तावित रास्ता अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित नहीं है

अधिवक्ता प्रार्थी ने संशोधित किये जाने प्रार्थना पत्र पेश किया। बाद बहस प्रार्थना पत्र स्वीकार किया।

अधिवक्ता प्रार्थी ने संशोधित प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए तहसीलदार देवली की रिपोर्ट अनुसार रास्ता दिया जावे तो कोई आपति नहीं है। प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की।

तहसीलदार देवली ने जवाब व रिपोर्ट को ही बहस मानने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार देवली की रिपोर्ट में प्रार्थी की आराजी 149/38 में पहुंचने के लिए वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा प्रार्थी

27.12.2024

Scanned with OKEN Scanner

को रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है। रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि राजकीय भूमि सिवायचक है। प्रस्तावित रास्ता अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र न्यायोचित प्रतीत होने से स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार देवली को आदेशित किया जाता है कि तहसीलदार देवली द्वारा प्रेषित रिपोर्ट दिनांक 23.12.24 में संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार ग्राम नृसिंहपुरा पटवार हल्का पनवाड़ के ख. नं. 149/38 रकबा 0.25 है0 में कृषि कार्य हेतु पहुंच मार्ग हेतु ख. नं. 152/38 रकबा 0.3035 है0 में से 9.1439 मीटर चौड़ा व 10 मीटर लम्बा कुल क्षैत्रफल 91.439 वर्ग मीटर के लिए डी. एल. सी दर 5471000/— प्रति है0 के अनुसार क्षैत्रफल 91.439 वर्ग मीटर के लिए एक गुना राशि 50027/— रूपये व दुगनी राशि 100054/—रूपये प्रतिकर राशि जमा कर अथवा पुनः वर्तमान में प्रचलित डीएलसी की दुगनी दर से गणना कर राशि जमा राजकोष कर, राजस्व रिकॉर्ड में गै. मु. रास्ता के रूप में अमल दरामद करे। पत्रावली नियमानुसार बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास दिनांक 27.12.2024 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली

Scanned with OKEN Scanner